(५)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

समक्षः– श्री एस0एस0अली
सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 0346/2019/उज्जैन/भू.रा. के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 के द्वारा अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1646/2016–17

पूरालाल पिता श्री तोलाराम
निवासी– ग्राम आक्या नजीक तहसील नागदा जिला – उज्जैन म.प्र.

–– अपीलार्थी

विरूद्ध

1 म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर उज्जैन
2 भारत सिंह पिता तोलाराम
निवासी – ग्राम आक्या नजीक तहसील नागदा जिला – उज्जैन म.प्र.

–– प्रत्यर्थीगण

श्री के0के0 द्विवेदी, धर्मेन्द्र चतुर्वेदी अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राजीव शर्मा शासकीय अभिभाषक ---- प्रत्यर्थी

आदेश

(आदेश दिनांक 01-04-2019 को पारित)

यह अपील अपीलार्थी अपर आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 1646/अपील/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 29.11.2018 के

विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 44 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का सारांश यह है कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष संहिता की धारा 89, 106 के अन्तर्गत एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया कि ग्राम आक्या नजीक में पुराना सर्वे नं. 46 रकवा 2.000 आरे व सर्वे नं. 104 रकवा 0.721 आरे की भूमि अपीलार्थी पूरालाल व सजन बाई बेवा सेवाराम आजना के नाम से बंदौबस्त के पूर्व से चली आ रही है तथा सर्वे नं. 46 व 104 बंदौबस्त के पूर्व के नक्शे में दर्ज है। पुराना सर्वे नं. 46 व सर्वे नं. 104 की आराजी व पुराने नक्शे के मान से मौके पर भूमि आज भी उपलब्ध है। जिसका उपयोग व उपभोग अपीलार्थी द्वारा किया जा रहा है। पुराना सर्वे नं. 44/1 रकवा 5.163 आरे की भूमि अपीलार्थी सजन बाई तथा प्रत्यर्थी क्रमांक 2 के नाम से बंदौबस्त पूर्व से आज तक चली आ रही है। तथा बंदौबस्त के दौरान अपीलार्थी को हिस्से व कब्जें के मान से पुराना सर्वे नं. 44/1 का नया सर्वे नं. 332 रकवा 0.80 है0 बना है तथा अपीलार्थी पूर्व के मान से आज तक काबिज होकर कास्त कर रहा है तथा अपीलार्थी के बंदौबस्त प्रस्तावित अधिकार के अनुसार अपीलार्थी को सर्वे नं. 44/1 का नया बंदौबस्त सर्वे नं. 332 मिला है। बंदौबस्त पटटे के बाद वर्तमान में पटवारी की गलती है नया सर्वे नं. 332 रकवा 0.80 है0 को अपीलार्थी के नाम से था। में से कम कर प्रत्यर्थी क्रमांक 2 का नाम खसरा बी–1 में कर दिया है, जिसक संशोधन कर प्रत्यर्थी क्रमांक 2 नाम कम कर अपीलार्थी का नाम किया जाना आवश्यक होने से नक्शा दुरस्त किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पत्र को दिनांक 28.07.2017 से निरस्त कर दिया जिसके विरूद्ध अपील अपर

आयुक्त उज्जैन संभाग उज्जैन के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 29.11.2018 से निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष वर्तमान अपील प्रस्तुत की गयी है।

3– अपील मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– अपीलार्थी अभिभाषक ने तर्को ने बताया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्य का विधिवत् रूप से निर्वहन नहीं किया है, क्योंकि प्रकरण में आयी सम्पूर्ण साक्ष्य एवं दस्तावेज का तथा मान्य न्यायधीश वर्ग–1 नागदा जिला उज्जैन पारित निर्णय का अवलोकन करना चाहिये था। किन्तु न्यायालय द्वारा व्यवहार न्यायालय के आदेश के विरूद्ध आदेश पारित किया है, जो किसी भी स्थिति में स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। वर्तमान प्रकरण मे आयुक्त न्यायालय द्वारा कलेक्टर को निर्देशित किया था कि वह प्रतिवेदन के आधार पर उभय पक्षो को सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण का निराकरण करें। किन्तु विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त स्थिति को नजर अदाज किया गया है।

अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी निवेदन किया कि भूमि बंदौबस्त पूर्व से सर्वे नं. 46 रकवा 2.80 आरे तथा बंदौबस्त के बाद उक्त भूमि का नया नं. 138 बना लेकिन त्रुटि वश 0.82 आरे लिख दिया जबकि वास्तविक रूप से बंदौबस्त बाद का सर्वे नं. 138 का रकवा 2.82 आरे होना चाहिये। इस संबधं में आयुक्त महोदय के निर्देशानुसार तहसीदार द्वारा अपना प्रतिवेदन दिनांक 05.01.2012 प्रस्तुत किया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा उपरोक्त स्थिति को नजर अंदाज कर जो आदेश पारित किये गये है वह अपास्त किये जाने योग्य है।

5– म.प्र. शासन की ओर उपस्थित अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा उपरोक्त प्रकरण में जो आदेश पारित किये गये है वह उपलब्ध अभिलेख एवं साक्ष्य पर आधारित है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील निरस्त किये जाने योग्य हैं।

6– उभयपक्षों के अभिभाषको के तर्को के परिपेक्ष्य में मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की भूमि बंदौबस्त पूर्व के सर्वे नं. 46 रकवा 2.80 आरे तथा बंदौबस्त के बाद उक्त भूमि का नया नं. 138 बना है लेकिन त्रुटिवश रकवा 0.82 आरे लिख दिया है जबकि वास्तविक रूप से बंदौबस्त बाद का सर्वे नं. 138 का रकवा 2.82 आरे होना चाहिये इस संबंध में आयुक्त न्यायालय द्वारा नायब तहसीलदार को प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये थे। जिससे स्पष्ट है कि बंदौबस्त पूर्व के सर्वे नं. 46 के नक्शे की आकृति तथा बंदौबस्त पश्चात् का सर्वे नं. 138 का आकृति में काफी अन्तर है। जबकि मौके पर अपीलार्थी भूमि पर काबिज है नक्शे की आकृति में भी बंदौबस्त के पूर्व व पश्चात् अन्तर नहीं आया है इस तथ्य की पुष्टि राजस्व निरीक्षक/पटवारी रिपोर्ट से हुयी है जिसके आधार पर अतिरिक्त तहसीलदार टप्पा उन्हेल द्वारा प्रतिवेदन दिया गया है। बंदौबस्त में त्रुटि के कारण रकवे में परिवर्तन हुआ है साथ ही नक्शे की आकृति में भी परिवर्तन हुआ है। राजस्व निरीक्ष/पटवारी द्वारा मौके पर जाकर तुलनात्मक रूप जांच कर नपती रिपोर्ट दी है बंदौबस्त के पुराने सर्वे नं. 104 रकवा 0.721 का स्थल निरीक्षण मौके पर किया गया। बंदौबस्त के समय सहायक बंदौबस्त अधिकारी ने नक्शे में पृथक से नहीं बना उक्त नं. 337 रकवा 1.72 पूरालाल पिता फत्ता जी के नाम से अभिलेख मे

दर्ज हुआ है बंदौबस्त पूर्व सर्वे नं. 104 व 110 के भाग निर्मित है इन दोनो का बंदौबस्त पूर्व अनुसार स्थल पर सर्वे नं. 337 का रकवा 1.02 है0 पूरालाल पिता फत्ता जी आंजना पश्चिम भाग पर जिसका क्षेत्रफल 0.170 है0 पर सजन बाई बेंवा सेवाराम व पूरालाल पिता तोलाराम का अधिपत्य है इन दोनो के मध्य मेढ है जोकि खसरा व नक्शे में रकवा 0.170 है0 नया सर्वे नं. निर्मित होना है जिसकी स्वीकृति पूरालाल पिता फत्ता ने मौके पर दी है। जो राजस्व रिपोर्ट मे संलग्न है इस प्रकार सर्वे नं. 104 का नया नं. निर्मित नही किया जो निर्मित किया जाना आवश्यक है। व उसका रकवा 0.70 है खसरा व नक्शे में आकृति दी जानी चाहिये। इस पर पूरालाल पिता फत्ता जी ने सहमति दी है। कि उसे दुरूस्त किया जाये। इस प्रकार कलेक्टर न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुने जाने का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया है इस संबंध में 2005 आर.एन. 146 में स्पष्ट है कि धारा 107 के खेत के नक्शे का पुनरीक्षण अभिलिखित भूमि स्वामियो को सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात् किया जाना चाहिये। उक्त प्रकरण में आयुक्त न्यायालय द्वारा निर्देश दिये गये थे जिसका पालन विधिवत् रूप से नही किया गया है जबकि 1987 आर.एन 304 में स्पष्ट है कि वरिष्ठ न्यायालय का आदेश अधीनस्थ न्यायालयो पर बंधनकारी है वर्तमान प्रकरण में व्यवहार न्यायधीश वर्ग–1 नागदा द्वारा आदेश दिनांक 19.12.2014 पारित किया है जिसमें बादी भारत सिंह के पक्ष में प्रतिवादीगण पूरालाल आदि के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान की गयी है। व्यवहार न्यायधीश द्वारा भारत सिंह का बाद निरस्त किया है, तथा बंदौबस्त में जो त्रुटि हुयी है उसके संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया है, इस प्रकार प्रत्यर्थी भारत सिह को व्यवहार न्यायालय से कोई सहायता बंदौबस्त में हुयी त्रुटि के संबंध में नही दी

गयी है। 2015 आर.एन 560 में स्पष्ट किया गया है धारा 107 (5) के उपबंध के अधीन आवेदन शक्तियो का प्रयोग बंदौबस्त के दौरान नवीन नक्शे में पूर्व नक्शे की अपेक्षा की भूमि का क्षेत्रफल कम दर्शाया गया तहसीलदार से जांच प्रतिवेदन बुलाया गया राजस्व निरीक्षक द्वारा पूर्व नक्शा अनुसार नक्शा शुद्व करना प्रस्तावित तहसीलदार द्वारा ऐसे प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी अपर कलेक्टर द्वारा आवेदन खारिज करने में त्रुटि की गयी है ऐसी स्थिति मे राजस्व मण्डल द्वारा आवेदन मंजूर किया गया है। उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा जो आदेश पारित किये गये है वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर सर्वे नं. 138 वर्तमान में रकवा 0.82 आरे जिसका बंदौबस्त में रकवा कम है मौके की जांच व कब्जा अनुसार तथा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर रकवा व नक्शे में सुधार किया जाये पुराने सर्वे नं. 104 रकवा 0.721 आरे जो बंदौबस्त पश्चात् विलुप्त कर दिया गया है जिसका नया सर्वे नं. बनाये जाने के आदेश कलेक्टर जिला उज्जैन का दिये जाते है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर